इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपद्य

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2022-ज्येष्ठ 10, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र.—एफ 3—3—2022—छब्बीस—1.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची—एक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना में, अनुसूची—दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची--एक

(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

अन्सची-"दो"

निःशक्तजनों के लिये पदो का चिन्हांकन

विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)

अभ्यक्ति		-			
योग	(6+2+8+3)	10	19	88	107
या	ऑटिज्म, बीद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लिनेंग डिसोबेलिटी और मानिसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	O.	2	80	10
द / संवर्ग एवं संख्या	नाम के लिए को लिए वृद्धि बहरे और लोकोमीटर ऑटिज्म, (6+7+8+9) स्वीकृत पद पदों की और कम वाले जिसमें दिव्यांगता, संख्या का वृद्धि (1.5 %) समिलित हैं, स्पेसिफिक लिनेंग लिनेंग कुछ रोग (8.%) सुरेबल पाल्सी, लिनेंग लिनेंग कुछ रोग (8.%) सुरेबल पाल्सी, लिनेंग कुछ रोग (8.%) सुरेबल पाल्सी, बीमारी और मानिसक प्रिक्त बहुविकलांगता मस्कुलर (1.5 %) विस्ट्राफी (1.5 %) विस्ट्राफी (1.5 %)	7	36	43	
चिन्हांकित पद /	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	7	7	g	41
	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	9	т	10	13
निःशक्तजनो	के लिए निन्हांकित पदों की संख्या का कुल योग (6 %)	2	19	88	107
योग		4	322	1459	1781
सीधी भती	क लिए स्दीकृत पद	60	322	1459	1781
	ने	2	सहायक यंत्री	उपयंत्री	योग
No.	5				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **शीलेन्द्र सिंह,** उपसचिव.

Bhopal, the 31st May, 2022

No.F-3-3/2022/26-1:: In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), for the identification of the posts for the disabled persons, under the provisions of Rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the disabled persons as per the specifications prescribed in Schedule-2 in the establishment of Panchayat & Rural Development Department of Schedule-1, namely:-

Schedule - 1

(1) Panchayat & Rural Development Department

Schedule - 2

Identification of Posts for the Disabled Persons

Department- Panchayat & Rural Development Department (Rural Engineering Services)

Category	Post/Cadre Posts sanctioned for direct recruitment	Poete	Total	Total Posts	Identified Post/Cadre and no.				Total	Remark
		Otto	Identified for the disabled (According to 6 percent)	Visually impaired and low		Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)	(6+7+8+9)	11	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
il	Assistant Engineer	322	322	19	3	7	7	2	19	
III	Sub Engineer	1459	1459	88	10	34	36	8	88	
	Total	1781	1781	107	13	41	43	10	107	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SHEELENDRA SINGH, Dy. Secy.